न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 07/18

RCMS NO-2018/ 00023 सन् 2018

बउनवानीः—1. हजारी पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर निवासी बम्बोरी तहसील सवाईमाधोपुर
2. रामरतन पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर निवासी बम्बोरी तहसील सवाईमाधोपुर
3. सीताराम पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर निवासी बम्बोरी तहसील सवाईमाधोपुर
4. घनश्याम पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर निवासी बम्बोरी तहसील सवाईमाधोपुर
5. राधेश्याम पुत्र मोरपाल जाति गुर्जर निवासी बम्बोरी तहसील सवाईमाधोपुर
6. ग्यारसी देवी बेवा मोरपाल जाति गुर्जर निवासी बम्बोरी तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 30 निर्णय दिनांक 3.6.1976 वाके ग्राम बम्बोरी, तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री आबिद अली — वकील अपीलान्ट
2. श्री विनोद कुमार शर्मा नायब तहसीलदार — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 3.7.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 30 निर्णय दिनांक 3.6.1976 वाके ग्राम बम्बोरी, तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पिता/पति स्व0 श्री मोरपाल पुत्र घासी गुर्जर निवासी बम्बोरी को दिनांक 24.7.1965 को आराजी ख0न0 90/214 रकबा 2 बीघा 17 तथा ख0न0 91/224 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा एवं ख0न0 99/224 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा बारानी का नियमानुसार आवंटन होने के उपरान्त उक्त भूमि का अपीलान्ट के पिता को भौतिक कब्जा सम्भलाकर जमा कायमी ढालबांच मे नामा0 संख्या 16 के विशेष विवरण में अंकित किया गया था तथा दिनांक 24.7.1965 के आवंटन का अंकन नामा0 के कॉलम संख्या 14 मे दर्ज है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 28.5.1976 को पटवारी हल्का द्वारा प्रविष्टियॉं नामा0 संख्या 30 में की गयी थी उसकी तुलना मुताबिक जमाबन्दी सही पायी जाने पर तत्कालीन आईएलआर प्रेमचन्द द्वारा दिनांक 3.6.1976 को तस्दीक किया गया। किन्तु उक्त नामा0 के कॉलम संख्या 14 में अंकितानुसार आवंटन रजिस्ट्रेशन संख्या 2242 दिनांक 24.7.1965 के आधार पर तहसीलदार द्वारा कॉलम संख्या 11 ,व 12 के इन्द्राजात को सही स्वीकार कर तस्दीक नही किया गया एवं किन्ही कारणवश इस नामा0 को बिना किसी तारीख एवं बिना किसी आदेश के अस्वीकार कर दिया जबकि आवंटन प्रकिया के 11 वर्ष बाद अपीलान्ट के पिता को बगैर [illegible] के गुप्त रूप से उक्त नामा0 को अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत नही है क्य[illegible] आदेश की प्रति तहसीलदार के पास होनी चाहिए अपीलान्ट उक्त आ[illegible] करवा सकता है। इतना जानते हुए भी विधि विरिूद्व टिप्पणी [illegible] जैर अपील खारिज कि[illegible]ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:16:57 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

उचित नही है। इस प्रकार तत्कालीन तहसीलदार द्वारा मनमाने एवं दुर्भावना पूर्वक बिना किसी तारीख के बिना किसी सूचना के यह नामा0 विधिविरूद्व तरीके से खारिज किया गया है। यह तर्क भी दिया ख0न0 90,91 व 99 का रकबा एवं इसके इन्द्राजात सम्वत, 2012–14, 2016–23, 2025–27, 2028–30 एवं 2031 से 2043 तथा 2047–2056 तक अर्थात सेटलमेंट के समय तक यह भूमि लगातार भौतिक रूप से अपीलान्ट के कब्जे काश्त मे चली आ रही थी किन्तु इस जमीन के बारे में उस समय विवाद हुआ जब इस जमीन से लगी हुई जमीन का रकबा सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन ख0न0 223 कर दिया गया जिसपर अपीलान्ट के पिता द्वारा एक पुख्ता चाह 1976 में बनाया था तथा उक्त भूमि को लेकर दिनांक 4.10.2017 को विवाद होने पर आवंटन आदेश एवं नामा0 की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 26.2.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 8.3.2018 को नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है लगभग 42 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण भी नही बताया गया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 30 दिनांक 3.6.1976 वाके ग्राम बम्बोरी को आवंटन आदेश प्राप्त नही होने/आवंटी द्वारा प्रस्तुत नही करने के कारण तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा खारिज किया गया है। न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत पत्रावली एवं न्यायालय हाजा के समक्ष दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन रजिस्ट्रेशन संख्या 2242 दिनांक 24.7.1965 की प्रति पेश नही की गयी है। चूंकि अपीलान्टगण द्वारा उनके पिता/पति को भूमि आवंटन किये जाने से संबंधित कोई साक्ष्य सबूत न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नही किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया ।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 30 दिनांक 3.6.1976 को इस आशय की रिपोर्ट के साथ खारिज किया है कि आवंटन आदेश की प्रति प्राप्त नही है। यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से अंकित नही किया गया है कि उक्त आवंटन आदेश कहॉ से प्राप्त होना है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नही है जिसके आधार पर आदेश जैर अपील पारित करते समय अपीलान्ट के पिता/पति को साक्ष्य सबूत यथा उक्त आवंटन आदेश की प्रति इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत यथा आवंटन रजिस्ट्रेशन संख्या 2242 दिनांक 24.7.1965 की प्रति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.7.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:16:57 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner